



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल, 2017-वैशाख 1, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च, 2017

क्र.-04-02/195/यो.रूपां./825.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

- (1) नाम : ये परियोजनायें 220 एवं 132 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.
- (2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-
 - (I) 220 के. व्ही. के कार्य :-
 - (i) 220 के. व्ही. पारेषण लाइनें :-
 1. 400 के. व्ही. खण्डवा (पीजीसीआईएल)-छनेरा 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन, लम्बाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-3200.00 लाख रु.
 - (II) 132 के. व्ही. के कार्य :-
 - (i) 132 के. व्ही. पारेषण लाइनें :-
 1. जावरा-खाचरौद 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का 132 के. व्ही. उपकेंद्र भैसोला में लीलो कार्य, लम्बाई-15 कि.मी., अनुमानित लागत-1143.00 लाख रु.

2. पिपरिया 220-सेमरी हरचंद 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-879.00 लाख रु.
3. पिपरिया 220-सेमरी हरचंद 132 के. व्ही. लाइन के एक सर्किट का 132 के. व्ही. उपकेंद्र सोहागपुर में लीलो कार्य, लम्बाई-5 कि.मी., अनुमानित लागत-437.00 लाख रु.
4. श्यामपुर-पीलूखेड़ी 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का कार्य, लम्बाई-22 कि.मी., अनुमानित लागत-1476.00 लाख रु.
5. गौरझामर-देवरी 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का कार्य, लम्बाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-1806.00 लाख रु.
6. एमएसीटी भोपाल से ई-8, अरेरा कॉलोनी 33 के. व्ही. लाइन का 132 के. व्ही. में उन्नयन कार्य, लम्बाई-6 कि.मी., अनुमानित लागत-232.00 लाख रु.

(ii) नये उपकेंद्र की स्थापना :

1. भैंसोला (जिला-रतलाम) में 1x50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेंद्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1595.00 लाख रु.
2. सोहागपुर (जिला-सेमरी हरचंद) में 1x50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेंद्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1585.50 लाख रु.
3. पीलूखेड़ी (जिला-राजगढ़) में 1x50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेंद्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1537.40 लाख रु.
4. देवरी (जिला-सागर) में 1x50 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेंद्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1537.40 लाख रु.
5. ई-8, अरेरा कॉलोनी (जिला-भोपाल) में 1x63 एमवीए क्षमता के नये 132 के. व्ही. उपकेंद्र (GIS) की स्थापना, अनुमानित लागत-4500.00 लाख रु.

(iii) 132 के. व्ही. फीडर बे :

पिपरिया 220 (1), सेमरी हरचंद (1), श्यामपुर (1), गौरझामर (1), एमएसीटी भोपाल (1) कुल 5 नम्बर अनुमानित लागत 681.20 लाख रु.

(III) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :

1. म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल द्वारा भोपाल बैरसिया रोड पर फ्लाई ओवर निर्माण के कारण 220 के. व्ही. डीसीडीएस भोपाल-बैरागढ़ लाइन की ऊँचाई बढ़ाने हेतु लोकेशन क्रमांक 30-35 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2x1.0 कि.मी., अनुमानित लागत-85.61 लाख रु.
2. म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल द्वारा भोपाल बैरसिया रोड पर फ्लाई ओवर निर्माण के कारण 220 के. व्ही. डीसीडीएस भोपाल-आष्ठा लाइन की ऊँचाई बढ़ाने हेतु लोकेशन क्रमांक 29-32 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2x1.4 कि.मी., अनुमानित लागत-26.92 लाख रु.
3. 400 के. व्ही उपकेंद्र छेगांव से मेसर्स स्काई पॉवर सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं स्काई पॉवर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ग्राम चिरवेल जिला खण्डवा में प्रस्तावित 50-50 मेगावाट (कुल 100 मेगावाट) सौर ऊर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन का निर्माण, लंबाई 2x11.3 कि.मी., अनुमानित लागत-1227.66 लाख रु.
4. मेसर्स एस. ए. एस. हाइडल प्रोजेक्ट के ग्राम हिम्मतपाती, तहसील हटा, जिला दमोह में प्रस्तावित 7.5 मेगावाट जल विद्युत ग्रह के संयोजन हेतु म. प्र. पूर्व क्षे. वि. वि. कं. लिमि. द्वारा प्रस्तावित 33 के. व्ही लाइन की सोनार नदी क्रॉसिंग टावरों से करने हेतु, लंबाई 2 x 0.40 कि.मी., अनुमानित लागत-69.41 लाख रु.
5. 132 के. व्ही. उपकेंद्र मनावर से मेसर्स अल्ट्रा टेक सीमेन्ट लिमिटेड की ग्राम टोंकी, तहसील मनावर, जिला धार में प्रस्तावित इकाई को 30 एम. व्ही. ए. अनुबंधित भार विद्युत आपूर्ति करने हेतु 132 के. व्ही. डी. सी. एस. एस. लाइन का निर्माण, लंबाई-1x6.5 कि. मी., अनुमानित लागत-424.00 लाख रु.

6. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र छेगांव से मेसर्स स्काई पॉवर सोलर साऊथ ईस्ट एशिया वन प्राईवेट लिमिटेड के ग्राम खजुरी जिला खण्डवा में प्रस्तावित 50 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण, लम्बाई-1x9.0 कि.मी., अनुमानित लागत-716.00 लाख रु.
7. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र मोरवा, जिला सिंगरौली से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग रेनुकूट द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र सिंगरौली, जिला सिंगरौली को क्रमबद्ध रूप से 21.6 एमव्हीए (वर्तमान में 5 एमव्हीए) विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण जिसमें 33 के. व्ही. मोरवा-अनपरा/बीना (पूर्व में मोरवा-रिहंड) एवं 132 के. व्ही. मोरवा-राजमिलान लाइनों का मोरवा उपकेन्द्र के समीप विस्थापन भी सम्मिलित है लम्बाई-2x1.20, 2 x 0.50 तथा 2x0.30, कि. मी., अनुमानित लागत-331.29 लाख रु. (यह कार्य पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 19, दिनांक 6-5-2016 का संशोधन).
8. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र जावरा, जिला रतलाम से रेल्वे विद्युतीकरण कोटा द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र जावरा, जिला रतलाम को 21.6 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण, लम्बाई-1x2.0 कि. मी., अनुमानित लागत-217.13 लाख रु.
9. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र मंदसौर, जिला मंदसौर से रेल्वे विद्युतीकरण कोटा द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र मंदसौर (सिंधपन) जिला मंदसौर को 21.6 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण, लम्बाई-1x11.0 कि. मी., अनुमानित लागत-962.96 लाख रु.
10. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र नीमच, जिला नीमच से रेल्वे विद्युतीकरण कोटा द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र नीमच, जिला नीमच को 21.6 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण 220 के. व्ही. उपकेन्द्र नीमच में विद्यमान लाइन का बे विस्थापन सहित, लम्बाई-1x15.0 तथा 2x0.50 कि.मी., अनुमानित लागत-1114.08 लाख रु.
11. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र नौगांव से रेल्वे विद्युतीकरण लखनऊ द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र हरपालपुर, जिला छतरपुर को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण, लम्बाई-1x51.0 कि. मी., अनुमानित लागत-3614.65 लाख रु.
12. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र छिंदवाड़ा से रेल विकास निगम लिमि., भोपाल द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र लिंगा, जिला छिंदवाड़ा को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण 220 के. व्ही. उपकेन्द्र छिंदवाड़ा में विद्यमान लाइन का बे विस्थापन सहित, लम्बाई-1x10.0 तथा 2x0.50 कि. मी., अनुमानित लागत-819.09 लाख रु.
13. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बोरगांव से रेल विकास निगम लिमि., भोपाल द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र सौंसर, जिला छिंदवाड़ा को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण, लम्बाई-1x19.0 कि. मी., अनुमानित लागत-1318.58 लाख रु.
14. मेसर्स रिन्वू क्लीन इनर्जी प्रायवेट लिमिटेड परियोजना क्षेत्र (51 मेगावाट) से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र अशोकनगर, जिला-अशोकनगर तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण, लम्बाई-1x20 कि. मी., अनुमानित लागत-1350.00 लाख रु.

(V) कुल अनुमानित लागत:

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 310.58 करोड़ है.

(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार:

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र

अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

एम. के. नुन्हारिया,

मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स),
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
शक्ति भवन रामपुर-जबलपुर

(28-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं तजेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी 105, चाणक्यपुरी, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016, सूचित करता हूँ, कि मुझे सामान्यतः तजेन्द्र सिंह के नाम से जाना जाता है किन्तु मेरी कुछ शैक्षणिक अंक सूचियों में तजेन्द्र सिंह बावल छपा (प्रिंट) है। इस वजह से जन सामान्य में अनेकोवार भ्रान्तियां उत्पन्न होती हैं। इस सूचना के माध्यम से मैं सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मुझे तजेन्द्र सिंह के नाम से जाना जाये, इसलिये यह जाहिर कर रहा हूँ इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर अवगत करायें।

तजेन्द्र सिंह,

105, चाणक्यपुरी, चूनाभट्टी,
कोलार रोड, भोपाल-462016.

(35-बी.)

नाम परिवर्तन

यहकि मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ यह कि मेरा नाम विनोद कुमार राय पिता प्रमोद कुमार राय, निवासी-लमती माढ़ोताल है। मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी में यही नाम है। यह कि मेरा एक दूसरा नाम विनोद कुमार महाजन भी है मुझे दोनों नाम से जाना-पहचाना जाता है। यह कि मैं अपना एक ही नाम रखना चाहता हूँ आज दिनांक से मुझे विनोद कुमार राय नाम से ही पढ़ा-लिखा एवं जाना जाये इस हेतु शपथपत्र पेश है।

पुराना नाम :

(विनोद कुमार महाजन)

(37-बी.)

नया नाम :

(विनोद कुमार राय)

र. न. 1605

Change of Name

I, Mohammad Ayyub Khan declare that before name of my minor son aged 10 years was Yasir Ahmad Khan S/o Mohammad Ayyub Khan. That now I have changed his name as Mohammad Yaseen Khan S/o. Mohammad Ayyub Khan in place of his previous name Yasir Ahmad Khan S/o. Mohammad Ayyub Khan on 25th May, 2016.

That now my son shall be known by his new name as Mohammad Yaseen Khan S/o. Mohammad Ayyub Khan for all purpose.

MOHAMMAD AYYUB KHAN

(38-B.)

402, twin tower, 4/2, Old Palasiya, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम अम्बिका प्रसाद गौतम अंकित है। मेरा सही नाम अम्बिका प्रसाद मिश्रा है। अतः तत्काल प्रभाव से मेरा सही नाम अम्बिका प्रसाद मिश्रा आत्मज श्री इन्द्रभान प्रसाद मिश्रा लिखा-पढ़ा एवं समझा जाय।

पुराना नाम :

(अम्बिका प्रसाद गौतम)

(39-बी.)

नया नाम :

(अम्बिका प्रसाद मिश्रा)

89, जनता नगर,
करोंद बैरसिया रोड, भोपाल (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद शहीद पिता मोहम्मद यासीन स्थाई पता बजरियो वार्ड नं. 1 मुर्शिद बाबा मैदान के सामने दमोह (म. प्र.) 470661 शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, कि वर्तमान में सभी शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम मोहम्मद शहीद (अंग्रेजी में Mohammad Shaheed) दर्ज है. आज दिनांक से मेरा नया नाम मोहम्मद शहीद कुरैशी (अंग्रेजी में Mohammad Shaheed Qureshi) सभी शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में पढ़ा एवं लिखा जाये एवं मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(मोहम्मद शहीद)

(40-बी.)

नया नाम :

(मोहम्मद शहीद कुरैशी)

नाम परिवर्तन

सर्व-सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम दौलत राम था जिसे बदलकर दौलता राम वासुदेव कर दिया गया है. मुझे दौलत राम वासुदेव नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(दौलत राम)

(43-बी.)

नया नाम :

(दौलत राम वासुदेव)

पौनी बालाघाट.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE is hereby given that the following amendment has been made in the partnership subsisting between Lokesh Data r/o 5, Sharma Enclave, Near Girdhar Nagar Indore (MP) and Ritesh Data r/o 5, Sharma Enclave, Near Girdhar Nagar Indore (MP) in the Name of M/s A F MARKETING registered at 48, Peer Gali, Indore Registration No. 03/27/03/00186/14 :

1. The Name of the firm has been changed from A F Marketing to LEMON APPARELS *vide* amendment in partnership deed dated 10 June of 2016.
2. The Registered Business place has been changed from 48, Peer Gali, Indore (MP) to 34A, Laxmi Bai Nagar, Kila Maidan, Indore (MP) *vide* amendment in partnership deed dated 10 June 2016.
3. And Also the following Persons have been Admitted as Partners in the firm *vide* amendment in partnership deed dated 2nd March 2017 :

(i) Mukta Data w/o Lokesh Data r/o 5, Sharma Enclave, Near Girdhar Nagar Indore (MP)

(ii) Divya Data w/o Ritesh Data r/o 5, Sharma Enclave, near Girdhar Nagar Indore (MP)

(iii) Sanjay Yadav s/o Omprakash Yadav r/o Gate 91 Maa Vaishnodevi Nagar, Indore (MP)

(iv) Pradeep Somani s/o Jamanlal Somani r/o 53 Kailash Park, Gita Bhawan, Indore (MP)

(v) Shri Bharat Shadija s/o Shri Pratab Shadija r/o 880/4 Jeevan Deep Colony, Indore (MP)

The Above notice is being published for the purpose of information to be given to Office of Registrar of the firms and Society.

For M/s A F Marketing

LOKESH DATA,

(Partner).

(26-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अलका थियेटर फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीकृत है. यहकि, दिनांक 28-08-1974 को फर्म के साझेदार श्री प्रेमसुख पिता श्री पन्नालाल झांजरिया, निवासी 494 एम जी रोड, इंदौर की मृत्यु होने से फर्म के साझेदार नहीं रहे, दिनांक 18-09-1974 को श्री प्रमोद कुमार पिता स्व. श्री प्रेमसुख झांजरिया, निवासी 494 एम जी रोड, इंदौर फर्म के साझेदार के रूप में शामिल हुये, 14-11-1990 को फर्म की साझेदार श्रीमती पुखराज बाई जैन, निवासी-26/1/1, रेस कोर्स रोड,

इंदौर की मृत्यु होने से फर्म के साझेदार नहीं रहें, दिनांक 29-11-2001 को श्री जौहरीलाल पिता स्व. श्री पन्नालाल झांजरिया, निवासी-26/1/1, रेस कोर्स रोड, इंदौर की मृत्यु होने से फर्म के साझेदार नहीं रहे, दिनांक 11-11-2005 को श्री बाबूलाल पिता स्व. श्री पन्नालाल झांजरिया, निवासी-24, चैनसिंह की बगीची, न्यू पलासिया, इंदौर की मृत्यु होने से फर्म के साझेदार नहीं रहे. दिनांक 04-08-2013 को श्री प्रमोद कुमार पिता स्व. श्री प्रेमसुख झांजरिया, निवासी-26/1/1, रेस कोर्स रोड, इंदौर की मृत्यु होने से फर्म के साझेदार नहीं रहे एवं दिनांक 19-10-2013 को श्री अरूण कुमार पिता स्व. श्री जौहरीलाल झांजरिया, निवासी-11, मीरापथ कॉलोनी, इंदौर, श्री कीर्ति पिता स्व. श्री बाबूलाल झांजरिया, निवासी-24, चैनसिंह की बगीची, न्यू पलासिया, इंदौर एवं श्री हर्षकुमार पिता स्व. श्री प्रमोद कुमार झांजरिया कुमार निवासी-26/1/1, रेस कोर्स रोड, इंदौर फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है.

द्वारा-अलका थियेटर,
अरूण जे. झांजरिया,
(पार्टनर).

(27-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. श्रीराम पेट्रोलियम, नौगांव रोड, छतरपुर के साझेदार श्री सुरेश कुमार अग्रवाल का दिनांक 5 मार्च, 2015 को आकस्मिक निधन होने के कारण अब उस फर्म में नये साझेदार के रूप में उनकी पत्नि श्रीमती मनीषा अग्रवाल पत्नि स्व. श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल, निवासी शिल्पशाला मार्ग, छतरपुर होंगी.

मेसर्स श्रीराम पेट्रोलियम,
महेशचन्द्र अग्रवाल,
(साक्षीगण)
नौगांव रोड, छतरपुर.

(29-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म पारस रोड लाइन्स, छतरपुर के नाम से संचालित है जिसमें श्री अरूण कुमार जैन एवं वीरेन्द्र कुमार जैन भागीदार हैं. अतः दोनों पार्टनरों की सहमति से श्रीमती पुष्पादेवी अग्रवाल को नया पार्टनर बनाया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 06/12/01/0014/7/12 है.

अतः जिस किसी को भी कोई आपत्ति हो, तो 15 दिन दिवस के भीतर निम्नलिखित पते पर आपत्ति दर्ज करें.

पारस रोड लाइन्स,
अरूण कुमार जैन,
जवाहर रोड, छतरपुर (म. प्र.).

(30-बी.)

भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत सूचना

सर्व-साधारण एवं फर्म मेसर्स श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 15-11-2016 को उक्त साझेदारी फर्म से 1. मोहम्मद फहिम हाशमी पिता श्री मोहम्मद इस्माईल हाशमी निवृत्तमान हो गये हैं एवं उक्त दिनांक को ही 1. श्री शरद पलोड पिता श्री कैलाश पलोड ने भागीदारी में प्रवेश लिया है. यह सूचनार्थ है कि उक्त दिनांक से फर्म में केवल 1. श्री योगेश बरालिया पिता श्री गिरधरलाल बरालिया, 2. श्री अजय दवरे पिता श्री धन्नजय दवरे, 3. श्री कपिल गुप्ता पिता श्री चंद्रशेखर गुप्ता, 4. श्री श्रीशरद पलोड पिता श्री कैलाश पलोड उक्त साझेदारी फर्म में भागीदारी है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

वास्ते-मेसर्स श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स,
कपिल गुप्ता,
(भागीदार).

केअर ऑफ एडव्होकेट आर. ए. खान,
31, खानका वार्ड (पील्लु का तकीया),
बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450331.

(31-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स प्युरोकेयर, 109, सीडब्ल्यू सी गोडाउन, मोहम्मदपुरा, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450331, पंजीयन क्रमांक (03/47/02/0115/16) ने अपनी साझेदारी में दिनांक 15-10-2016 को संशोधन कर श्री गोविन्द भट्ट पिता श्री नंदलाल भट्ट, पता-29/2, मोहम्मदपुरा, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450331 एवं श्रीमति राजकुमारी भट्ट पति श्री गोविन्द भट्ट, पता-29/2, मोहम्मदपुरा, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450331 को फर्म में सम्मिलित किया गया जो कि भविष्य में फर्म से

संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और फर्म के जारी रहने वाले साझेदार हरीश भट्ट पिता श्री गोविन्द भट्ट एवं श्री कमल भट्ट पिता श्री गोविन्द भट्ट को स्वीकार है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

वास्ते-मेसर्स प्युरोकेयर,
हरीश भट्ट,
(पार्टनर).

109, सीडब्ल्यू सी गोडाउन, मोहम्मदपुरा,
बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450331.

(32-बी.)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के तहत सूचना

सर्व-साधारण की सूचना हेतु यह जानकारी प्रकाशित की जा रही है कि श्री मधुर नानेरिया पिता श्री ओमप्रकाश नानेरिया, निवासी-53, पत्रकार कॉलोनी, साकेत नगर के पास, इंदौर एवं श्रीमती नम्रता नानेरिया पति श्री मधुर नानेरिया, निवासी-53, पत्रकार कॉलोनी, साकेत नगर के पास, इंदौर दिनांक 31-03-2016 को मेसर्स सन रियल्टी, एम-1, बी.सी.एम. हाईट्स, श्री बादलचंद मेहता मार्ग, स्कीम क्रमांक 54, इंदौर (म. प्र.) से सेवानिवृत्त हुए हैं एवं श्रीमती रेखा मेहता पति श्री राजेश मेहता, निवासी शांति निकेतन, भिचौली हप्सी रोड, इंदौर को नये भागीदार के रूप में दिनांक 31-03-2016 को मेसर्स सन रियल्टी, एम-1, बी.सी. एम. हाईट्स, श्री बादलचंद मेहता मार्ग, स्कीम क्रमांक 54, इंदौर (म. प्र.) को शामिल किया गया है.

मेसर्स सन रियल्टी,
राजेश मेहता,
(भागीदार).

(33-बी.)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के तहत सूचना

सर्व-साधारण की सूचना हेतु यह जानकारी प्रकाशित की जा रही है कि श्रीमती शिल्पा पाराशर पति श्री राहुल पाराशर, निवासी-134, शांति निकेतन कॉलोनी, बॉम्बे हास्पिटल के पास, इंदौर दिनांक 15-05-2016 को मेसर्स सन रियल्टी, एम-1, बी.सी.एम. हाईट्स, श्री बादलचंद मेहता मार्ग, स्कीम क्रमांक 54, इंदौर (म. प्र.) से सेवानिवृत्त हो गई हैं.

मेसर्स सन रियल्टी,
राजेश मेहता,
(भागीदार).

(34-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण सूचित किया जाता है कि कंपनी का कार्यालयीन पता-G-8, शिवकृपा कॉलोनी साजन नगर के पास, नवलखा से परिवर्तित होकर नए पते 306, पुखराज कॉर्पोरेट नवलखा, इंदौर पर परिवर्तित हो गया है सो सूचित होंगे ग-8 शिवकृपा कॉलोनी साजन नगर के पास नवलखा से परिवर्तित होकर नए पते 306, पुखराज कॉर्पोरेट नवलखा इंदौर पर परिवर्तित हो गया है सो सूचित होंगे.

For Utkarsh Commodities

आशीष कचौले,
उमेश हेमनानी,
(पार्टनर).

(36-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मैसर्स पार्श्व हाऊसिंग भोपाल के भागीदारीगण (1) श्री राजीव जैन पंचरत्न पुत्र स्व. श्री निर्मल कुमार जैन, (2) श्रीमति प्रीति जैन पत्नी श्री संजय कुमार जैन, (3) श्रीमती विनिषा जैन पत्नी श्री राजीव जैन, (4) श्रीमती एकता जैन पत्नी श्री आलोक जैन उक्त भागीदारी फर्म के भागीदार थे. जिसमें से स्वतंत्र सहमति से भागीदारगण श्रीमती विनिषा जैन पत्नी श्री राजीव जैन एवं श्रीमती एकता जैन पत्नी श्री आलोक जैन ने उक्त भागीदारी फर्म में लगाई गई पूंजी एवं अन्य मदों की राशि प्राप्त करते हुये उक्त भागीदारी फर्म से निवृत्त हो गये हैं. इस प्रकार से अब उक्त भागीदारी फर्म के केवल मात्र श्री राजीव जैन पंचरत्न पुत्र स्व. श्री निर्मल कुमार जैन एवं श्रीमती प्रीति जैन पत्नी श्री संजय कुमार जैन भागीदार हैं और अब निवृत्तमान भागीदारों का उक्त भागीदारी फर्म से किसी प्रकार का कोई दायित्व, हित नीहित नहीं रहा है. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स पार्श्व हाऊसिंग, भोपाल की फर्म से भागीदारगण श्रीमती विनिषा जैन श्री राजीव जैन एवं श्रीमती एकता जैन पत्नी श्री आलोक जैन स्वतंत्र सहमति से निवृत्तमान हो गये हैं. तदनुसार सूचित हैं.

चन्द्रेश जैन,
(एडवोकेट)

61/3, महामाई का बाग,
रेल्वे स्टेशन के पास, भोपाल.

(42-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 31 मार्च, 2017 .

राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017, परीक्षा, दिनांक 12 फरवरी, 2017 (रविवार)**संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति**

वि.क्र.-20675/09/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-07/परीक्षा/2016/05 दिसम्बर, 2016 ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 08 जनवरी, 2017, (1) शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/06/2016/दिनांक 08-02-2017, नवीन परीक्षा तिथि की सूचना के अंतर्गत राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017 के कुल-174 पदों हेतु (राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017 के साथ संयुक्त रूप से आयोजित परीक्षा), परीक्षा दिनांक 12-02-2017 (रविवार) को दो सत्रों में प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे एवं दोपहर 2.15 से 4.15 बजे तक 51 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी.

उपरोक्त लिखित परीक्षा में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2017 हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-20675/09/2017/अनु.-10, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा घोषित किया गया है यह परीक्षा परिणाम "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.in पर देखा जा सकता है. इस परीक्षा ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे एवं समस्त आवेदकों को लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये थे. इस परीक्षा में कुल-93,384 आवेदन प्राप्त हुये थे. राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2017 हेतु कुल 2,905 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये. इनमें अनारक्षित-1936, अनुसूचित जाति-200, अनुसूचित जनजाति-171, अन्य पिछड़ा वर्ग-598 सम्मिलित हैं. इनमें समान अंक कुल-295 सम्मिलित हैं. यह स्पष्ट किया जाता है, कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणित मानी जाएगी.

2. राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017 अर्ह आवेदकों के लिये राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2017 की लिखित परीक्षा, दिनांक पृथक् से घोषित की जाएगी. इस हेतु आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर सूचना जारी की जाएगी.
3. राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2017 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल फोटो पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायेंगे. परीक्षा के समय इसकी प्रतिदिन जांच की जावेगी. मूल पहचान-पत्र प्रवेश-पत्र के साथ नहीं लाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी.
4. अर्ह आवेदक राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2017 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम. पी. ऑनलाइन से दिनांक 03 अप्रैल, 2017 से 06 मई, 2017 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जावेगी.

दिनेश जैन,

परीक्षा नियंत्रक.

(1165)

इन्दौर, दिनांक 31 मार्च, 2017

राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017, परीक्षा, दिनांक 12 फरवरी, 2017 (रविवार)**लिखित परीक्षा परिणाम**

वि.क्र.-20675/09/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-07/परीक्षा/2016/05 दिसम्बर, 2016 ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 08 जनवरी, 2017, (1) शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/06/2016/दिनांक 08-02-2017, नवीन परीक्षा तिथि की सूचना के अंतर्गत राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017 के कुल-174 पदों हेतु (राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2017 के साथ संयुक्त रूप से आयोजित) परीक्षा, दिनांक 12-02-2017 (रविवार) को दो सत्रों में प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे एवं दोपहर 2.15 से 4.15 बजे तक प्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी.

उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के 15 गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं. कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या-2905 है. इनमें से श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है:-

श्रेणी	विज्ञापित पद-174	प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या 2905 (इनमें समान अंक कुल-295 सम्मिलित हैं)
अनारक्षित (UR)-	120	1936
अनुसूचित जाति (SC)-	11	200
अनुसूचित जनजाति (ST)-	11	171
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)-	32	598
	174	2905

उपरोक्त परीक्षा में कुल-2905 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए हैं. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2017 में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु प्रावधिक अर्ह पाए गए-2905 आवेदकों के रोल नम्बर निम्नानुसार है:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE FOREST SERVICE EXAM-2017

ROLL No. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL)

S. No.	Roll No.								
1.	100107	37.	101508	73.	103547	109.	105488	145.	107659
2.	100124	38.	101573	74.	103670	110.	105583	146.	107663
3.	100185	39.	101712	75.	103784	111.	105591	147.	107678
4.	100188	40.	101717	76.	103831	112.	105684	148.	107721
5.	100258	41.	101752	77.	103882	113.	105798	149.	107741
6.	100294	42.	101776	78.	104039	114.	105804	150.	107770
7.	100308	43.	101867	79.	104044	115.	105845	151.	107788
8.	100319	44.	101871	80.	104049	116.	105852	152.	107871
9.	100333	45.	101941	81.	104160	117.	105860	153.	107954
10.	100412	46.	101944	82.	104181	118.	106050	154.	108034
11.	100416	47.	101977	83.	104196	119.	106126	155.	108133
12.	100482	48.	101983	84.	104254	120.	106157	156.	108147
13.	100500	49.	102104	85.	104284	121.	106238	157.	108280
14.	100527	50.	102177	86.	104310	122.	106269	158.	108293
15.	100643	51.	102264	87.	104399	123.	106313	159.	108312
16.	100651	52.	102279	88.	104516	124.	106336	160.	108316
17.	100667	53.	102317	89.	104524	125.	106391	161.	108407
18.	100687	54.	102331	90.	104550	126.	106413	162.	108428
19.	100837	55.	102397	91.	104556	127.	106436	163.	108564
20.	100862	56.	102401	92.	104606	128.	106554	164.	108684
21.	100877	57.	102516	93.	104675	129.	106615	165.	108690
22.	100954	58.	102531	94.	104677	130.	106684	166.	108720
23.	100971	59.	102619	95.	104691	131.	106725	167.	108779
24.	100977	60.	102724	96.	104791	132.	106887	168.	108858
25.	101032	61.	102856	97.	104972	133.	106901	169.	108905
26.	101063	62.	102859	98.	105038	134.	106997	170.	108921
27.	101071	63.	103011	99.	105043	135.	107006	171.	108926
28.	101077	64.	103024	100.	105054	136.	107063	172.	109105
29.	101123	65.	103049	101.	105086	137.	107072	173.	109243
30.	101184	66.	103065	102.	105093	138.	107195	174.	109244
31.	101203	67.	103119	103.	105205	139.	107262	175.	109255
32.	101208	68.	103182	104.	105248	140.	107331	176.	109309
33.	101270	69.	103189	105.	105380	141.	107378	177.	109329
34.	101331	70.	103292	106.	105409	142.	107436	178.	109389
35.	101442	71.	103349	107.	105439	143.	107534	179.	109405
36.	101448	72.	103485	108.	105466	144.	107654	180.	109492

S. No.	Roll No.								
181.	109619	221.	111387	261.	113550	301.	115167	341.	117222
182.	109622	222.	111475	262.	113561	302.	115356	342.	117230
183.	109714	223.	111595	263.	113584	303.	115367	343.	117255
184.	109723	224.	111696	264.	113600	304.	115383	344.	117276
185.	109804	225.	111736	265.	113630	305.	115425	345.	117334
186.	109840	226.	111756	266.	113647	306.	115485	346.	117337
187.	109857	227.	111845	267.	113653	307.	115630	347.	117351
188.	109925	228.	111890	268.	113680	308.	115711	348.	117376
189.	109990	229.	111915	269.	113704	309.	115714	349.	117440
190.	110019	230.	111998	270.	113802	310.	115809	350.	117465
191.	110090	231.	112000	271.	113862	311.	115866	351.	117520
192.	110176	232.	112026	272.	113881	312.	115945	352.	117548
193.	110182	233.	112161	273.	113941	313.	116079	353.	117580
194.	110380	234.	112163	274.	114003	314.	116120	354.	117624
195.	110448	235.	112205	275.	114038	315.	116156	355.	117675
196.	110452	236.	112216	276.	114120	316.	116160	356.	118001
197.	110457	237.	112313	277.	114173	317.	116242	357.	118008
198.	110465	238.	112323	278.	114258	318.	116250	358.	118061
199.	110529	239.	112460	279.	114296	319.	116257	359.	118071
200.	110572	240.	112485	280.	114323	320.	116281	360.	118232
201.	110614	241.	112540	281.	114336	321.	116332	361.	118364
202.	110666	242.	112628	282.	114372	322.	116473	362.	118395
203.	110682	243.	112643	283.	114373	323.	116489	363.	118418
204.	110702	244.	112677	284.	114401	324.	116513	364.	118433
205.	110757	245.	112693	285.	114466	325.	116525	365.	118498
206.	110828	246.	112744	286.	114627	326.	116569	366.	118534
207.	110832	247.	112765	287.	114637	327.	116609	367.	118539
208.	110884	248.	112798	288.	114643	328.	116674	368.	118573
209.	110892	249.	112804	289.	114667	329.	116701	369.	118585
210.	110932	250.	112897	290.	114713	330.	116738	370.	118635
211.	111038	251.	112930	291.	114733	331.	116789	371.	118684
212.	111066	252.	112955	292.	114750	332.	116801	372.	118718
213.	111080	253.	113010	293.	114762	333.	116864	373.	118747
214.	111108	254.	113123	294.	114817	334.	116894	374.	118847
215.	111128	255.	113177	295.	114879	335.	116905	375.	118866
216.	111233	256.	113330	296.	114897	336.	116974	376.	118887
217.	111235	257.	113348	297.	114925	337.	116983	377.	118926
218.	111290	258.	113353	298.	115026	338.	117146	378.	118954
219.	111342	259.	113391	299.	115097	339.	117200	379.	119120
220.	111355	260.	113504	300.	115141	340.	117212	380.	119162

S. No.	Roll No.								
381.	119208	421.	120955	461.	122709	501.	124587	541.	126477
382.	119210	422.	121039	462.	122730	502.	124712	542.	126572
383.	119257	423.	121202	463.	122745	503.	124842	543.	126586
384.	119301	424.	121260	464.	122777	504.	124875	544.	126597
385.	119365	425.	121263	465.	122819	505.	124888	545.	126650
386.	119382	426.	121275	466.	122827	506.	124933	546.	126687
387.	119450	427.	121287	467.	122850	507.	124947	547.	126757
388.	119453	428.	121322	468.	122902	508.	124963	548.	126845
389.	119513	429.	121479	469.	122969	509.	125002	549.	126853
390.	119534	430.	121488	470.	123029	510.	125133	550.	126859
391.	119539	431.	121492	471.	123073	511.	125198	551.	126867
392.	119650	432.	121518	472.	123089	512.	125204	552.	126872
393.	119752	433.	121592	473.	123112	513.	125370	553.	126921
394.	119870	434.	121625	474.	123263	514.	125405	554.	126931
395.	119936	435.	121632	475.	123286	515.	125444	555.	127048
396.	120013	436.	121637	476.	123347	516.	125461	556.	127104
397.	120070	437.	121652	477.	123350	517.	125499	557.	127143
398.	120074	438.	121669	478.	123364	518.	125528	558.	127194
399.	120098	439.	121719	479.	123449	519.	125560	559.	127266
400.	120123	440.	121765	480.	123451	520.	125586	560.	127272
401.	120129	441.	121780	481.	123523	521.	125723	561.	127295
402.	120163	442.	121801	482.	123584	522.	125728	562.	127395
403.	120165	443.	121843	483.	123625	523.	125770	563.	127453
404.	120225	444.	121927	484.	123626	524.	125882	564.	127512
405.	120252	445.	121959	485.	123658	525.	125955	565.	127621
406.	120350	446.	121962	486.	123661	526.	126015	566.	127640
407.	120411	447.	122152	487.	123698	527.	126066	567.	127658
408.	120445	448.	122154	488.	123713	528.	126080	568.	127699
409.	120488	449.	122213	489.	123897	529.	126135	569.	127739
410.	120560	450.	122230	490.	123961	530.	126137	570.	127759
411.	120678	451.	122330	491.	124018	531.	126170	571.	127870
412.	120685	452.	122353	492.	124034	532.	126202	572.	127889
413.	120692	453.	122442	493.	124087	533.	126290	573.	127969
414.	120715	454.	122475	494.	124386	534.	126293	574.	128026
415.	120719	455.	122498	495.	124406	535.	126332	575.	128066
416.	120723	456.	122569	496.	124476	536.	126341	576.	128164
417.	120746	457.	122581	497.	124490	537.	126404	577.	128169
418.	120780	458.	122626	498.	124500	538.	126410	578.	128170
419.	120817	459.	122634	499.	124549	539.	126414	579.	128176
420.	120829	460.	122686	500.	124568	540.	126433	580.	128239

S. No.	Roll No.								
581.	128287	621.	130163	661.	132910	701.	137645	741.	142205
582.	128303	622.	130200	662.	132944	702.	137801	742.	142244
583.	128334	623.	130278	663.	133016	703.	137860	743.	142323
584.	128336	624.	130309	664.	133327	704.	137992	744.	142438
585.	128377	625.	130338	665.	133375	705.	138152	745.	142590
586.	128467	626.	130370	666.	133562	706.	138182	746.	142597
587.	128548	627.	130451	667.	133571	707.	138202	747.	142721
588.	128554	628.	130460	668.	133992	708.	138359	748.	142747
589.	128629	629.	130464	669.	134197	709.	138766	749.	142862
590.	128632	630.	130496	670.	134318	710.	138889	750.	142894
591.	128634	631.	130506	671.	134357	711.	139274	751.	143421
592.	128655	632.	130562	672.	134385	712.	139310	752.	143676
593.	128671	633.	130586	673.	134726	713.	139402	753.	144370
594.	128713	634.	130617	674.	134806	714.	139457	754.	144381
595.	128725	635.	130619	675.	134963	715.	139541	755.	144393
596.	128830	636.	130716	676.	135063	716.	139549	756.	144588
597.	128841	637.	130782	677.	135109	717.	139657	757.	144627
598.	128879	638.	130788	678.	135171	718.	139735	758.	144643
599.	128947	639.	130804	679.	135354	719.	139761	759.	144644
600.	128948	640.	130809	680.	135476	720.	139902	760.	144901
601.	129000	641.	130816	681.	135675	721.	140201	761.	145083
602.	129028	642.	130896	682.	135698	722.	140224	762.	145338
603.	129125	643.	130913	683.	135783	723.	140452	763.	145350
604.	129221	644.	130927	684.	135803	724.	140478	764.	145382
605.	129252	645.	131053	685.	135887	725.	140766	765.	145398
606.	129256	646.	131055	686.	136011	726.	140787	766.	145415
607.	129441	647.	131075	687.	136060	727.	140883	767.	145457
608.	129499	648.	131136	688.	136112	728.	140963	768.	145551
609.	129566	649.	131389	689.	136185	729.	141066	769.	145637
610.	129623	650.	131416	690.	136260	730.	141089	770.	145729
611.	129727	651.	131534	691.	136299	731.	141173	771.	145764
612.	129747	652.	131616	692.	136422	732.	141352	772.	145766
613.	129821	653.	131630	693.	136428	733.	141468	773.	145855
614.	129984	654.	131660	694.	136430	734.	141569	774.	145859
615.	130015	655.	131853	695.	136490	735.	141681	775.	145876
616.	130031	656.	131967	696.	136494	736.	141824	776.	145879
617.	130060	657.	131975	697.	136776	737.	141883	777.	146061
618.	130083	658.	131998	698.	136821	738.	141924	778.	146263
619.	130089	659.	132099	699.	137282	739.	141998	779.	146266
620.	130122	660.	132412	700.	137406	740.	142052	780.	146414

S. No.	Roll No.								
781.	146527	821.	148866	861.	151420	901.	153632	941.	155463
782.	146569	822.	148867	862.	151599	902.	153646	942.	155527
783.	146576	823.	148957	863.	151602	903.	153650	943.	155545
784.	146584	824.	148985	864.	151627	904.	153707	944.	155592
785.	146631	825.	149047	865.	151685	905.	153827	945.	155651
786.	146694	826.	149052	866.	151702	906.	153863	946.	155667
787.	146840	827.	149070	867.	151704	907.	153873	947.	155783
788.	146882	828.	149117	868.	151729	908.	153903	948.	155784
789.	147004	829.	149178	869.	151736	909.	153911	949.	155850
790.	147020	830.	149204	870.	151758	910.	153985	950.	155852
791.	147032	831.	149388	871.	151818	911.	154052	951.	155882
792.	147038	832.	149471	872.	151824	912.	154088	952.	156027
793.	147171	833.	149531	873.	151827	913.	154229	953.	156051
794.	147194	834.	149591	874.	151856	914.	154289	954.	156153
795.	147204	835.	149726	875.	151888	915.	154298	955.	156186
796.	147235	836.	149769	876.	151928	916.	154335	956.	156379
797.	147328	837.	149825	877.	151951	917.	154361	957.	156474
798.	147483	838.	149866	878.	152012	918.	154371	958.	156498
799.	147531	839.	149886	879.	152019	919.	154385	959.	156616
800.	147538	840.	149930	880.	152041	920.	154447	960.	156735
801.	147556	841.	149944	881.	152112	921.	154478	961.	156755
802.	147668	842.	150093	882.	152278	922.	154479	962.	156767
803.	147730	843.	150163	883.	152319	923.	154570	963.	156841
804.	147769	844.	150175	884.	152386	924.	154619	964.	156854
805.	147806	845.	150592	885.	152514	925.	154776	965.	156993
806.	147861	846.	150680	886.	152554	926.	154788	966.	157010
807.	147884	847.	150684	887.	152668	927.	154821	967.	157013
808.	147902	848.	150710	888.	152685	928.	154955	968.	157171
809.	147920	849.	150734	889.	152699	929.	154959	969.	157197
810.	147939	850.	150751	890.	152771	930.	154993	970.	157217
811.	147945	851.	150826	891.	152783	931.	154999	971.	157336
812.	147948	852.	150853	892.	152818	932.	155017	972.	157432
813.	147992	853.	150986	893.	152883	933.	155104	973.	157505
814.	148148	854.	151083	894.	152993	934.	155175	974.	157583
815.	148264	855.	151146	895.	153192	935.	155215	975.	157633
816.	148322	856.	151147	896.	153222	936.	155251	976.	157690
817.	148430	857.	151210	897.	153226	937.	155302	977.	157741
818.	148615	858.	151280	898.	153315	938.	155321	978.	157841
819.	148705	859.	151366	899.	153387	939.	155349	979.	157861
820.	148796	860.	151384	900.	153530	940.	155447	980.	157865

S. No.	Roll No.								
981.	157925	1021.	160074	1061.	162733	1101.	164598	1141.	167084
982.	157932	1022.	160082	1062.	162840	1102.	164675	1142.	167096
983.	157954	1023.	160285	1063.	163033	1103.	164691	1143.	167117
984.	158008	1024.	160289	1064.	163129	1104.	164695	1144.	167162
985.	158136	1025.	160449	1065.	163175	1105.	164698	1145.	167175
986.	158178	1026.	160457	1066.	163222	1106.	164708	1146.	167215
987.	158207	1027.	160545	1067.	163224	1107.	164743	1147.	167227
988.	158331	1028.	160630	1068.	163243	1108.	164763	1148.	167250
989.	158342	1029.	160681	1069.	163291	1109.	164789	1149.	167369
990.	158357	1030.	160683	1070.	163395	1110.	164883	1150.	167433
991.	158359	1031.	160687	1071.	163401	1111.	164915	1151.	167555
992.	158441	1032.	160708	1072.	163409	1112.	164931	1152.	169603
993.	158448	1033.	160749	1073.	163414	1113.	164987	1153.	167621
994.	158475	1034.	160949	1074.	163442	1114.	164989	1154.	167769
995.	158515	1035.	161064	1075.	163492	1115.	165110	1155.	167844
996.	158517	1036.	161107	1076.	163549	1116.	165203	1156.	167847
997.	158518	1037.	161118	1077.	163592	1117.	165273	1157.	167930
998.	158587	1038.	161125	1078.	163604	1118.	165338	1158.	167932
999.	158699	1039.	161231	1079.	163630	1119.	165394	1159.	168038
1000.	158703	1040.	161235	1080.	163661	1120.	165431	1160.	168097
1001.	158730	1041.	161351	1081.	163711	1121.	165499	1161.	168167
1002.	158797	1042.	161352	1082.	163724	1122.	165527	1162.	168262
1003.	158829	1043.	161400	1083.	163743	1123.	165579	1163.	168272
1004.	158877	1044.	161581	1084.	163796	1124.	165598	1164.	168290
1005.	158883	1045.	161723	1085.	163864	1125.	165618	1165.	168421
1006.	158999	1046.	161752	1086.	163873	1126.	165668	1166.	168553
1007.	159052	1047.	161825	1087.	163875	1127.	165756	1167.	168579
1008.	159172	1048.	161948	1088.	163911	1128.	165851	1168.	168607
1009.	159274	1049.	162002	1089.	163935	1129.	166029	1169.	168665
1010.	159339	1050.	162019	1090.	163942	1130.	166208	1170.	168716
1011.	159343	1051.	162090	1091.	164012	1131.	166248	1171.	168813
1012.	159469	1052.	162213	1092.	164089	1132.	166399	1172.	168819
1013.	159498	1053.	162214	1093.	164188	1133.	166409	1173.	168922
1014.	159544	1054.	162230	1094.	164352	1134.	166586	1174.	169094
1015.	159678	1055.	162250	1095.	164381	1135.	166724	1175.	169267
1016.	159694	1056.	162278	1096.	164468	1136.	166873	1176.	169394
1017.	159860	1057.	162339	1097.	164472	1137.	166875	1177.	169399
1018.	159927	1058.	162399	1098.	164488	1138.	166880	1178.	169429
1019.	159998	1059.	162424	1099.	164569	1139.	166962	1179.	169635
1020.	160052	1060.	162722	1100.	164579	1140.	167039	1180.	169776

S. No.	Roll No.								
1181.	170068	1221.	174692	1261.	180902	1301.	183541	1341.	186764
1182.	170143	1222.	175158	1262.	181032	1302.	183704	1342.	186815
1183.	170296	1223.	175277	1263.	181119	1303.	183720	1343.	186833
1184.	170297	1224.	175480	1264.	181136	1304.	183897	1344.	186839
1185.	170501	1225.	175536	1265.	181148	1305.	184180	1345.	186846
1186.	170562	1226.	175797	1266.	181160	1306.	184296	1346.	186876
1187.	170609	1227.	176227	1267.	181181	1307.	184300	1347.	187019
1188.	170642	1228.	176517	1268.	181201	1308.	184361	1348.	187151
1189.	170683	1229.	176724	1269.	181237	1309.	184385	1349.	187152
1190.	170689	1230.	176861	1270.	181287	1310.	184522	1350.	187318
1191.	170722	1231.	177005	1271.	181447	1311.	184561	1351.	187376
1192.	170866	1232.	177056	1272.	181579	1312.	184599	1352.	187679
1193.	170883	1233.	177345	1273.	181593	1313.	184633	1353.	187978
1194.	170993	1234.	177429	1274.	181623	1314.	184707	1354.	188065
1195.	171194	1235.	177516	1275.	181632	1315.	184749	1355.	188138
1196.	171236	1236.	177524	1276.	181779	1316.	184995	1356.	188198
1197.	171338	1237.	177529	1277.	181804	1317.	185279	1357.	188448
1198.	171349	1238.	177696	1278.	181839	1318.	185286	1358.	188513
1199.	171359	1239.	177829	1279.	181867	1319.	185313	1359.	188526
1200.	171420	1240.	177848	1280.	181898	1320.	185326	1360.	188621
1201.	171514	1241.	177865	1281.	182058	1321.	185348	1361.	188643
1202.	171640	1242.	177913	1282.	182129	1322.	185357	1362.	188723
1203.	171913	1243.	177946	1283.	182168	1323.	185388	1363.	188777
1204.	171952	1244.	178191	1284.	182219	1324.	185483	1364.	188904
1205.	171971	1245.	178475	1285.	182277	1325.	185542	1365.	188970
1206.	172054	1246.	178629	1286.	182278	1326.	185801	1366.	188999
1207.	172068	1247.	178831	1287.	182280	1327.	185860	1367.	189015
1208.	172318	1248.	179329	1288.	182291	1328.	185898	1368.	189077
1209.	172618	1249.	179582	1289.	182509	1329.	185936	1369.	189117
1210.	172846	1250.	179673	1290.	182694	1330.	186075	1370.	189175
1211.	172965	1251.	180436	1291.	182772	1331.	186118	1371.	189208
1212.	173229	1252.	180559	1292.	182998	1332.	186176	1372.	189293
1213.	173385	1253.	180599	1293.	183005	1333.	186204	1373.	189314
1214.	173612	1254.	180600	1294.	183089	1334.	186315	1374.	189332
1215.	174102	1255.	180614	1295.	183111	1335.	186331	1375.	189389
1216.	174234	1256.	180699	1296.	183159	1336.	186376	1376.	189469
1217.	174237	1257.	180705	1297.	183170	1337.	186415	1377.	189480
1218.	174276	1258.	180789	1298.	183202	1338.	186590	1378.	189697
1219.	174305	1259.	180808	1299.	183336	1339.	186704	1379.	189742
1220.	174528	1260.	180859	1300.	183340	1340.	186737	1380.	189785

S. No.	Roll No.								
1381.	189812	1421.	193185	1461.	197090	1501.	202020	1541.	205275
1382.	189943	1422.	193353	1462.	197139	1502.	202118	1542.	205438
1383.	190089	1423.	193423	1463.	197152	1503.	202221	1543.	205722
1384.	190159	1424.	193559	1464.	197338	1504.	202273	1544.	205757
1385.	190193	1425.	193746	1465.	197396	1505.	202360	1545.	205792
1386.	190260	1426.	193758	1466.	197400	1506.	202612	1546.	206048
1387.	190265	1427.	193808	1467.	197406	1507.	202658	1547.	206117
1388.	190330	1428.	193837	1468.	197664	1508.	202671	1548.	206168
1389.	190486	1429.	193891	1469.	197707	1509.	202687	1549.	206288
1390.	190599	1430.	193930	1470.	197735	1510.	202688	1550.	206458
1391.	190936	1431.	194005	1471.	197807	1511.	202787	1551.	206466
1392.	190969	1432.	194122	1472.	197892	1512.	202841	1552.	206479
1393.	190998	1433.	194258	1473.	197896	1513.	202948	1553.	206650
1394.	191001	1434.	194412	1474.	197931	1514.	203091	1554.	206862
1395.	191025	1435.	194569	1475.	197960	1515.	203109	1555.	206909
1396.	191045	1436.	194628	1476.	198050	1516.	203176	1556.	206987
1397.	191171	1437.	194632	1477.	198059	1517.	203240	1557.	207009
1398.	191261	1438.	195069	1478.	198236	1518.	203371	1558.	207241
1399.	191311	1439.	195072	1479.	198306	1519.	203510	1559.	207376
1400.	191561	1440.	195132	1480.	198390	1520.	203626	1560.	207463
1401.	191608	1441.	195243	1481.	198950	1521.	203922	1561.	207496
1402.	191692	1442.	195315	1482.	199237	1522.	203989	1562.	207586
1403.	191778	1443.	195459	1483.	199477	1523.	203993	1563.	207596
1404.	191835	1444.	195585	1484.	199760	1524.	203997	1564.	207703
1405.	191893	1445.	195884	1485.	199764	1525.	204059	1565.	207782
1406.	192004	1446.	196009	1486.	200036	1526.	204128	1566.	207982
1407.	192025	1447.	196063	1487.	200046	1527.	204198	1567.	208292
1408.	192031	1448.	196317	1488.	200056	1528.	204201	1568.	208341
1409.	192084	1449.	196324	1489.	200102	1529.	204383	1569.	208358
1410.	192160	1450.	196346	1490.	200206	1530.	204527	1570.	208448
1411.	192251	1451.	196426	1491.	200361	1531.	204538	1571.	208587
1412.	192355	1452.	196486	1492.	201224	1532.	204559	1572.	208842
1413.	192382	1453.	196541	1493.	201313	1533.	204620	1573.	208898
1414.	192485	1454.	196569	1494.	201382	1534.	204715	1574.	209158
1415.	192653	1455.	196584	1495.	201494	1535.	204732	1575.	209197
1416.	192675	1456.	196659	1496.	201657	1536.	204759	1576.	209254
1417.	192874	1457.	196662	1497.	201849	1537.	204957	1577.	209723
1418.	193017	1458.	196738	1498.	201883	1538.	205055	1578.	209918
1419.	193059	1459.	196784	1499.	201975	1539.	205077	1579.	209925
1420.	193060	1460.	196823	1500.	201995	1540.	205093	1580.	209998

S. No.	Roll No.								
1581.	210085	1621.	215544	1661.	223680	1701.	228911	1741.	233762
1582.	210482	1622.	215588	1662.	223731	1702.	229000	1742.	233813
1583.	211090	1623.	215611	1663.	223844	1703.	229036	1743.	233830
1584.	211153	1624.	216199	1664.	223855	1704.	229082	1744.	233852
1585.	211170	1625.	216355	1665.	224333	1705.	229141	1745.	233933
1586.	211173	1626.	216415	1666.	224534	1706.	229190	1746.	233994
1587.	211938	1627.	216934	1667.	224682	1707.	229268	1747.	234011
1588.	211946	1628.	217013	1668.	224935	1708.	229455	1748.	234108
1589.	211964	1629.	217080	1669.	224954	1709.	229503	1749.	234128
1590.	212213	1630.	217209	1670.	225200	1710.	229505	1750.	234173
1591.	212358	1631.	217236	1671.	225214	1711.	229664	1751.	234231
1592.	212450	1632.	217393	1672.	225292	1712.	229734	1752.	234453
1593.	212624	1633.	217404	1673.	225328	1713.	230022	1753.	234493
1594.	212632	1634.	217495	1674.	225491	1714.	230076	1754.	234510
1595.	212687	1635.	217518	1675.	225805	1715.	230086	1755.	234574
1596.	212748	1636.	217602	1676.	225905	1716.	230122	1756.	234642
1597.	212779	1637.	217673	1677.	226179	1717.	230226	1757.	234730
1598.	213119	1638.	217715	1678.	226235	1718.	230227	1758.	234820
1599.	213219	1639.	218471	1679.	226355	1719.	230328	1759.	234976
1600.	213272	1640.	218540	1680.	226576	1720.	230348	1760.	235003
1601.	213357	1641.	218647	1681.	226647	1721.	230630	1761.	235020
1602.	213375	1642.	220238	1682.	226865	1722.	230917	1762.	235047
1603.	213750	1643.	220361	1683.	226935	1723.	230966	1763.	235252
1604.	213751	1644.	220402	1684.	227001	1724.	231299	1764.	235291
1605.	213817	1645.	220487	1685.	227291	1725.	231356	1765.	235370
1606.	213835	1646.	222055	1686.	227371	1726.	231396	1766.	235399
1607.	213875	1647.	222201	1687.	227649	1727.	231519	1767.	235406
1608.	213935	1648.	222215	1688.	227830	1728.	231661	1768.	235430
1609.	213965	1649.	222231	1689.	228106	1729.	231790	1769.	235494
1610.	214437	1650.	222388	1690.	228134	1730.	231818	1770.	235528
1611.	214529	1651.	222556	1691.	228225	1731.	232013	1771.	235705
1612.	214648	1652.	222613	1692.	228490	1732.	232038	1772.	235911
1613.	214765	1653.	222904	1693.	228543	1733.	232073	1773.	235976
1614.	214772	1654.	223031	1694.	228552	1734.	232509	1774.	236001
1615.	214813	1655.	223099	1695.	228642	1735.	232680	1775.	236049
1616.	215021	1656.	223139	1696.	228830	1736.	233297	1776.	236051
1617.	215056	1657.	223189	1697.	228850	1737.	233433	1777.	236147
1618.	215211	1658.	223199	1698.	228855	1738.	233566	1778.	236227
1619.	215356	1659.	223339	1699.	228860	1739.	233607	1779.	236305
1620.	215459	1660.	223611	1700.	228872	1740.	233748	1780.	236369

S. No.	Roll No.								
1781.	236441	1821.	238867	1861.	241329	1901.	243828	1941.	245799
1782.	236493	1822.	238868	1862.	241436	1902.	243870	1942.	245803
1783.	236499	1823.	238888	1863.	241477	1903.	243903	1943.	245925
1784.	236575	1824.	238973	1864.	241529	1904.	243954	1944.	245930
1785.	236634	1825.	239109	1865.	241673	1905.	243964	1945.	245998
1786.	236643	1826.	239137	1866.	241744	1906.	244016	1946.	246137
1787.	236660	1827.	239200	1867.	241766	1907.	244119	1947.	246363
1788.	236703	1828.	239265	1868.	241787	1908.	244175	1948.	246444
1789.	236776	1829.	239284	1869.	241871	1909.	244249	1949.	246470
1790.	236926	1830.	239289	1870.	241921	1910.	244251	1950.	246492
1791.	237014	1831.	239346	1871.	241934	1911.	244325	1951.	246529
1792.	237094	1832.	239433	1872.	241995	1912.	244366	1952.	246587
1793.	237137	1833.	239483	1873.	242009	1913.	244429	1953.	246865
1794.	237147	1834.	239519	1874.	242028	1914.	244459	1954.	246929
1795.	237263	1835.	239521	1875.	242031	1915.	244587	1955.	246971
1796.	237412	1836.	239555	1876.	242102	1916.	244593	1956.	246981
1797.	237553	1837.	239670	1877.	242146	1917.	244612	1957.	247018
1798.	237643	1838.	239709	1878.	242251	1918.	244632	1958.	247021
1799.	237757	1839.	239854	1879.	242257	1919.	244638	1959.	247199
1800.	237772	1840.	239966	1880.	242483	1920.	244700	1960.	247206
1801.	237841	1841.	240149	1881.	242509	1921.	244803	1961.	247212
1802.	237906	1842.	240169	1882.	242528	1922.	244816	1962.	247287
1803.	237935	1843.	240301	1883.	242535	1923.	244860	1963.	247322
1804.	237940	1844.	240359	1884.	242536	1924.	244866	1964.	247369
1805.	237998	1845.	240389	1885.	242652	1925.	244888	1965.	247428
1806.	238083	1846.	240460	1886.	242804	1926.	244898	1966.	247466
1807.	238141	1847.	240532	1887.	242926	1927.	244902	1967.	247567
1808.	238189	1848.	240549	1888.	242971	1928.	244917	1968.	247615
1809.	238296	1849.	240589	1889.	243024	1929.	244919	1969.	247668
1810.	238318	1850.	240609	1890.	243153	1930.	245060	1970.	247674
1811.	238357	1851.	240821	1891.	243171	1931.	245105	1971.	247692
1812.	238383	1852.	240822	1892.	243380	1932.	245183	1972.	247738
1813.	238472	1853.	240907	1893.	243403	1933.	245222	1973.	247929
1814.	238573	1854.	240957	1894.	243520	1934.	245232	1974.	247938
1815.	238585	1855.	240982	1895.	243550	1935.	245240	1975.	247995
1816.	238595	1856.	241037	1896.	243630	1936.	245324	1976.	248032
1817.	238652	1857.	241137	1897.	243656	1937.	245457	1977.	248066
1818.	238675	1858.	241222	1898.	243705	1938.	245571	1978.	248135
1819.	238727	1859.	241241	1899.	243724	1939.	245689	1979.	248299
1820.	238862	1860.	241314	1900.	243733	1940.	245797	1980.	248309

S. No.	Roll No.								
1981.	248323	2021.	251573	2061.	253768	2101.	255604	2141.	257934
1982.	248403	2022.	251581	2062.	253778	2102.	255605	2142.	258029
1983.	248544	2023.	251601	2063.	253780	2103.	255607	2143.	258047
1984.	248564	2024.	251671	2064.	253823	2104.	255671	2144.	258249
1985.	248569	2025.	251672	2065.	253863	2105.	255672	2145.	258267
1986.	248615	2026.	251751	2066.	253942	2106.	255713	2146.	258311
1987.	248676	2027.	251918	2067.	253956	2107.	255735	2147.	258379
1988.	248704	2028.	251944	2068.	253966	2108.	255795	2148.	258457
1989.	248795	2029.	251962	2069.	253980	2109.	255799	2149.	258535
1990.	248896	2030.	252002	2070.	253985	2110.	255833	2150.	258536
1991.	248931	2031.	252037	2071.	254075	2111.	255893	2151.	258553
1992.	248971	2032.	252058	2072.	254110	2112.	255901	2152.	258693
1993.	249024	2033.	252067	2073.	254111	2113.	255932	2153.	258807
1994.	249160	2034.	252069	2074.	254114	2114.	255979	2154.	258816
1995.	249170	2035.	252087	2075.	254165	2115.	256004	2155.	258953
1996.	249269	2036.	252244	2076.	254244	2116.	256050	2156.	258967
1997.	249286	2037.	252256	2077.	254347	2117.	256117	2157.	259001
1998.	249623	2038.	252336	2078.	254462	2118.	256147	2158.	259014
1999.	249670	2039.	252345	2079.	254485	2119.	256152	2159.	259037
2000.	249768	2040.	252360	2080.	254514	2120.	256156	2160.	259061
2001.	249920	2041.	252508	2081.	254521	2121.	256232	2161.	259120
2002.	250107	2042.	252597	2082.	254539	2122.	256266	2162.	259130
2003.	250226	2043.	252711	2083.	254594	2123.	256352	2163.	259143
2004.	250314	2044.	252729	2084.	254602	2124.	256588	2164.	259178
2005.	250368	2045.	252730	2085.	254682	2125.	256665	2165.	259300
2006.	250449	2046.	252853	2086.	254859	2126.	256746	2166.	259334
2007.	250512	2047.	252989	2087.	254867	2127.	256789	2167.	259352
2008.	250531	2048.	253030	2088.	254876	2128.	256816	2168.	259374
2009.	250558	2049.	253102	2089.	254925	2129.	256896	2169.	259375
2010.	250589	2050.	253124	2090.	255052	2130.	256936	2170.	259461
2011.	250718	2051.	253165	2091.	255090	2131.	256942	2171.	259490
2012.	250760	2052.	253193	2092.	255112	2132.	256980	2172.	259500
2013.	250845	2053.	253223	2093.	255134	2133.	257125	2173.	259565
2014.	251139	2054.	253311	2094.	255168	2134.	257162	2174.	259621
2015.	251157	2055.	253330	2095.	255177	2135.	257187	2175.	259622
2016.	251179	2056.	253468	2096.	255359	2136.	257542	2176.	259626
2017.	251318	2057.	253567	2097.	255400	2137.	257749	2177.	259641
2018.	251408	2058.	253611	2098.	255500	2138.	257807	2178.	259734
2019.	251492	2059.	253696	2099.	255510	2139.	257827	2179.	259772
2020.	251546	2060.	253747	2100.	255570	2140.	257908	2180.	259824

S. No.	Roll No.								
2181.	259855	2221.	262204	2261.	264384	2301.	269378	2341.	271841
2182.	259921	2222.	262240	2262.	264416	2302.	269418	2342.	271941
2183.	259931	2223.	262279	2263.	264430	2303.	269446	2343.	272008
2184.	259936	2224.	262346	2264.	264442	2304.	269449	2344.	272082
2185.	260042	2225.	262367	2265.	264527	2305.	269539	2345.	272136
2186.	260060	2226.	262460	2266.	264611	2306.	269559	2346.	272398
2187.	260232	2227.	262482	2267.	264655	2307.	269566	2347.	272457
2188.	260326	2228.	262514	2268.	264674	2308.	269857	2348.	272677
2189.	260404	2229.	262569	2269.	264754	2309.	269986	2349.	272691
2190.	260459	2230.	262590	2270.	264874	2310.	270059	2350.	272955
2191.	260595	2231.	262761	2271.	265073	2311.	270226	2351.	272989
2192.	260614	2232.	262799	2272.	265267	2312.	270273	2352.	273085
2193.	260669	2233.	262810	2273.	265402	2313.	270414	2353.	273331
2194.	260751	2234.	262818	2274.	265428	2314.	270486	2354.	273620
2195.	260810	2235.	262873	2275.	265522	2315.	270518	2355.	273694
2196.	260877	2236.	262879	2276.	265549	2316.	270566	2356.	273719
2197.	260886	2237.	262925	2277.	265709	2317.	270621	2357.	273987
2198.	260890	2238.	262948	2278.	265739	2318.	270635	2358.	274242
2199.	261002	2239.	263060	2279.	265901	2319.	270655	2359.	274749
2200.	261011	2240.	263117	2280.	266188	2320.	270669	2360.	275481
2201.	261089	2241.	263127	2281.	266748	2321.	270679	2361.	275558
2202.	261204	2242.	263132	2282.	266860	2322.	270774	2362.	275628
2203.	261252	2243.	263228	2283.	267054	2323.	270831	2363.	275925
2204.	261399	2244.	263303	2284.	267550	2324.	270866	2364.	276350
2205.	261443	2245.	263455	2285.	267579	2325.	270932	2365.	276503
2206.	261532	2246.	263477	2286.	268078	2326.	271073	2366.	276542
2207.	261550	2247.	263504	2287.	268127	2327.	271117	2367.	276675
2208.	261573	2248.	263577	2288.	268169	2328.	271315	2368.	276713
2209.	261645	2249.	263799	2289.	268346	2329.	271321	2369.	276759
2210.	261678	2250.	263802	2290.	268578	2330.	271531	2370.	276870
2211.	261709	2251.	263854	2291.	268945	2331.	271535	2371.	276935
2212.	261986	2252.	263884	2292.	268960	2332.	271613	2372.	277065
2213.	262001	2253.	264007	2293.	268968	2333.	271638	2373.	277294
2214.	262008	2254.	264077	2294.	268986	2334.	271642	2374.	277525
2215.	262045	2255.	264089	2295.	269085	2335.	271659	2375.	277561
2216.	262046	2256.	264218	2296.	269136	2336.	271664	2376.	277679
2217.	262136	2257.	264264	2297.	269258	2337.	271667	2377.	277744
2218.	262146	2258.	264280	2298.	269264	2338.	271673	2378.	277751
2219.	262152	2259.	264308	2299.	269275	2339.	271742	2379.	277864
2220.	262188	2260.	264309	2300.	269337	2340.	271833	2380.	278030

S. No.	Roll No.								
2381.	278070	2421.	281680	2461.	285389	2501.	289808	2541.	292889
2382.	278084	2422.	281885	2462.	285483	2502.	289884	2542.	292911
2383.	278381	2423.	282030	2463.	285549	2503.	289896	2543.	292973
2384.	278393	2424.	282041	2464.	285601	2504.	289978	2544.	292981
2385.	278445	2425.	282136	2465.	285607	2505.	290029	2545.	292986
2386.	278488	2426.	282143	2466.	285670	2506.	290126	2546.	293052
2387.	278524	2427.	282219	2467.	285693	2507.	290178	2547.	293091
2388.	278600	2428.	282279	2468.	285704	2508.	290201	2548.	293096
2389.	278601	2429.	282808	2469.	285756	2509.	290377	2549.	293160
2390.	278607	2430.	282852	2470.	285771	2510.	290458	2550.	293238
2391.	278754	2431.	282916	2471.	285971	2511.	290550	2551.	293291
2392.	278806	2432.	282994	2472.	285994	2512.	290566	2552.	293381
2393.	278933	2433.	283196	2473.	286008	2513.	290655	2553.	293383
2394.	279049	2434.	283324	2474.	286291	2514.	290926	2554.	293412
2395.	279157	2435.	283352	2475.	286314	2515.	290967	2555.	293495
2396.	279216	2436.	283378	2476.	286361	2516.	291086	2556.	293638
2397.	279311	2437.	283426	2477.	286371	2517.	291211	2557.	293743
2398.	279312	2438.	283454	2478.	286448	2518.	291229	2558.	293793
2399.	279381	2439.	283543	2479.	286788	2519.	291388	2559.	293808
2400.	279514	2440.	283807	2480.	286790	2520.	291453	2560.	293863
2401.	279890	2441.	283915	2481.	286854	2521.	291719	2561.	293886
2402.	279958	2442.	284030	2482.	286981	2522.	291792	2562.	293978
2403.	280034	2443.	284126	2483.	286998	2523.	291928	2563.	294063
2404.	280066	2444.	284163	2484.	287013	2524.	291965	2564.	294206
2405.	280159	2445.	284165	2485.	287337	2525.	292012	2565.	294293
2406.	280326	2446.	284195	2486.	287392	2526.	292066	2566.	294365
2407.	280341	2447.	284330	2487.	287487	2527.	292137	2567.	294381
2408.	280430	2448.	284489	2488.	287539	2528.	292168	2568.	294431
2409.	280794	2449.	284645	2489.	287566	2529.	292215	2569.	294444
2410.	280839	2450.	284699	2490.	287672	2530.	292356	2570.	294452
2411.	280853	2451.	284790	2491.	287701	2531.	292383	2571.	294518
2412.	280854	2452.	284811	2492.	287742	2532.	292538	2572.	294594
2413.	280903	2453.	284960	2493.	287926	2533.	292572	2573.	294729
2414.	281238	2454.	285039	2494.	288002	2534.	292629	2574.	294743
2415.	281305	2455.	285178	2495.	288295	2535.	292649	2575.	294807
2416.	281338	2456.	285269	2496.	288367	2536.	292717	2576.	294820
2417.	281376	2457.	285286	2497.	288998	2537.	292796	2577.	294821
2418.	281407	2458.	285331	2498.	289006	2538.	292815	2578.	294873
2419.	281539	2459.	285352	2499.	289015	2539.	292831	2579.	294968
2420.	281582	2460.	285356	2500.	289414	2540.	292878	2580.	294970

S. No.	Roll No.								
2581.	294982	2621.	299267	2661.	303451	2701.	306715	2741.	310372
2582.	294996	2622.	299320	2662.	303583	2702.	306764	2742.	310442
2583.	295085	2623.	299563	2663.	303618	2703.	306773	2743.	310812
2584.	295138	2624.	299617	2664.	303648	2704.	306810	2744.	311114
2585.	295322	2625.	299882	2665.	303721	2705.	306847	2745.	311178
2586.	295346	2626.	300038	2666.	303770	2706.	306945	2746.	311245
2587.	295587	2627.	300040	2667.	304001	2707.	306985	2747.	311360
2588.	295598	2628.	300626	2668.	304036	2708.	306990	2748.	311426
2589.	295638	2629.	300716	2669.	304038	2709.	307015	2749.	311427
2590.	295679	2630.	300978	2670.	304118	2710.	307195	2750.	311468
2591.	295899	2631.	300981	2671.	304126	2711.	307464	2751.	311470
2592.	295962	2632.	301158	2672.	304139	2712.	307498	2752.	311758
2593.	296226	2633.	301313	2673.	304271	2713.	307664	2753.	311826
2594.	296308	2634.	301458	2674.	304291	2714.	307731	2754.	312266
2595.	296454	2635.	301556	2675.	304354	2715.	307754	2755.	312330
2596.	296530	2636.	301600	2676.	304401	2716.	308013	2756.	312649
2597.	296650	2637.	301663	2677.	304520	2717.	308025	2757.	312657
2598.	296768	2638.	301789	2678.	304563	2718.	308133	2758.	312677
2599.	296846	2639.	302035	2679.	304577	2719.	308188	2759.	312713
2600.	296853	2640.	302362	2680.	304774	2720.	308270	2760.	312788
2601.	296857	2641.	302367	2681.	304813	2721.	308300	2761.	312902
2602.	296969	2642.	302446	2682.	304815	2722.	308560	2762.	312971
2603.	297344	2643.	302474	2683.	304859	2723.	308565	2763.	313164
2604.	297504	2644.	302477	2684.	304883	2724.	308589	2764.	313511
2605.	297658	2645.	302483	2685.	304924	2725.	308699	2765.	313532
2606.	297691	2646.	302508	2686.	305000	2726.	308702	2766.	313740
2607.	298079	2647.	302574	2687.	305315	2727.	308874	2767.	314516
2608.	298162	2648.	302642	2688.	305462	2728.	308886	2768.	314631
2609.	298220	2649.	302658	2689.	305504	2729.	309075	2769.	314713
2610.	298365	2650.	302678	2690.	305588	2730.	309231	2770.	315417
2611.	298404	2651.	302767	2691.	305671	2731.	309255	2771.	315875
2612.	298473	2652.	302841	2692.	305830	2732.	309330	2772.	315956
2613.	298480	2653.	302893	2693.	305861	2733.	309337	2773.	316019
2614.	298483	2654.	303240	2694.	305934	2734.	309359	2774.	316239
2615.	298509	2655.	303324	2695.	305937	2735.	309383	2775.	316295
2616.	298831	2656.	303330	2696.	305941	2736.	309388	2776.	316351
2617.	298998	2657.	303349	2697.	306161	2737.	309677	2777.	316489
2618.	299010	2658.	303360	2698.	306254	2738.	309691	2778.	316848
2619.	299117	2659.	303377	2699.	306454	2739.	310084	2779.	317020
2620.	299257	2660.	303417	2700.	306464	2740.	310276	2780.	317179

S. No.	Roll No.								
2781.	317220	2806.	319551	2831.	321788	2856.	325606	2881.	330135
2782.	317502	2807.	319609	2832.	321795	2857.	325807	2882.	330142
2783.	317562	2808.	319697	2833.	321867	2858.	325955	2883.	330148
2784.	317641	2809.	319728	2834.	321883	2859.	325962	2884.	330168
2785.	317721	2810.	319775	2835.	321989	2860.	326116	2885.	330169
2786.	317774	2811.	319793	2836.	322161	2861.	326211	2886.	330171
2787.	317929	2812.	319862	2837.	322251	2862.	326699	2887.	330215
2788.	318052	2813.	319899	2838.	322340	2863.	326864	2888.	330224
2789.	318107	2814.	319904	2839.	322452	2864.	326948	2889.	330271
2790.	318226	2815.	319911	2840.	322479	2865.	327041	2890.	330276
2791.	318284	2816.	320090	2841.	322620	2866.	327060	2891.	330319
2792.	318617	2817.	320103	2842.	322919	2867.	327575	2892.	330370
2793.	318638	2818.	320272	2843.	323011	2868.	328229	2893.	330380
2794.	318702	2819.	320294	2844.	323028	2869.	328428	2894.	330413
2795.	318843	2820.	320382	2845.	323420	2870.	328683	2895.	330493
2796.	318869	2821.	320390	2846.	323501	2871.	328793	2896.	330535
2797.	318955	2822.	320715	2847.	323514	2872.	328863	2897.	330552
2798.	319038	2823.	320797	2848.	324366	2873.	328958	2898.	330578
2799.	319076	2824.	321078	2849.	324647	2874.	329226	2899.	330588
2800.	319105	2825.	321082	2850.	324771	2875.	329642	2900.	330607
2801.	319263	2826.	321138	2851.	324869	2876.	329762	2901.	330651
2802.	319332	2827.	321147	2852.	325154	2877.	329809	2902.	330667
2803.	319416	2828.	321262	2853.	325431	2878.	329833	2903.	330688
2804.	319524	2829.	321352	2854.	325447	2879.	329851	2904.	330696
2805.	319526	2830.	321762	2855.	325598	2880.	330127	2905.	330712

टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है यदि प्रत्याशी राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2017 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिये उनकी अर्हता समाप्त हो जाएगी.
2. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2017 में अर्ह आवेदकों के लिये राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2017 की लिखित परीक्षा माह जुलाई में संभावित है. मुख्य परीक्षा की दिनांक पृथक् से घोषित होगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.
3. अर्ह आवेदक राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2017 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन से दिनांक 03 अप्रैल, 2017 से 06 मई, 2017 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर जारी कर दी जायेगी.
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्वधीन रहेगा.
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचनाफलक पर देखने के लिये उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल, 2017

ई-निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(30)2017/781.—स्क्रीन प्रिंटिंग, प्लेट मैकिंग, कम्पोजिंग, डाई एम्बोजिंग, यू. व्ही. कोटिंग कार्य हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाईट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 16 मई, 2017 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं। ऑनलाईन तकनीकी भाग के अनिवार्य अर्हता एवं परिशिष्ट-एक अनुसार चाहे गये दस्तावेजों की हार्डकापी सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग दिनांक 16 मई, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा। परीक्षण उपरान्त सफल निविदाकारों के कामशियल भाग को दिनांक 17 मई, 2017 को अपराह्न 2.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी।

किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

(1166)

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 2017

ई-निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(12)2017/768.—उत्तर-पुस्तिका के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित, पैकिंग परिवहन एवं अन्य प्रति नग समस्त कर सहित प्रदाय करने के इच्छुक इंडियन बैंक एसोसियेशन (I. B. A) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीकृत प्रिन्टर्स से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाईट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 01 मई, 2017 अपराह्न 2.00 तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूने अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 02 मई, 2017 को अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा।

3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

(1167)

Bhopal, dated 11 April, 2017

E-TENDER NOTICE

No.GB-II/(12)/2017/768.—ONLINE Bids are invited through IT Department website <https://mpeproc.gov.in> from the Registered Printers for confidential Printing work of Indian Bank Association (IBA) Printing and supply of Answer Sheet (description mentioned in technical details) including paper, printing and other charges per No. with all taxes are invited on or before 2.00 PM on 1st May, 2017 as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, along with Technical tender document, certified Paper Sample, acceptance of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 2nd May, 2017 at 3.30 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. All corrigendum/amendments/changes, if any will be issued and made available only on Website <https://mpeproc.gov.in> & www.govtpressmp.nic.in.

RAJESH KUMAR KAUL,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
M.P., Bhopal.

(1167-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक " धरावरा धाम भक्त मण्डल न्यास", पता-1781 डी, सुदामा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) तर्फे श्री पियूष, पिता श्री मदनमोहनजी अग्रवाल द्वारा " धरावरा धाम भक्त मण्डल न्यास" पता-1781 डी, सुदामा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | " धरावरा धाम भक्त मण्डल न्यास" |
| 2. पता | : | कार्यालय पता-1781 डी, सुदामा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) |
| 3. अचल संपत्ति | : | निरंक |
| 4. चल संपत्ति | : | चल सम्पत्ति में रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) है. जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है. |

आज दिनांक 16 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1153)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक ROTARY MEGHDOOT CHARITABLE TRUST, पता-141 सी, इलेक्ट्रानिक कॉम्प्लेक्स, परदेशीपुरा, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री विक्रम गुप्ता, पिता श्री हेमचन्द्र गुप्ता, पता-101, आशियाना अपार्टमेंट 180, श्रीनगर मेन, इन्दौर के द्वारा ROTARY MEGHDOOT CHARITABLE TRUST, कार्यालय पता-141 सी, इलेक्ट्रानिक कॉम्प्लेक्स, परदेशीपुरा, इन्दौर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | ROTARY MEGHDOOT CHARITABLE TRUST |
| 2. पता | : | पता-141 सी, इलेक्ट्रानिक कॉम्प्लेक्स, परदेशीपुरा, इन्दौर (मध्यप्रदेश) |
| 3. अचल संपत्ति | : | निरंक |
| 4. चल संपत्ति | : | चल सम्पत्ति में रुपये 21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र) है. |

आज दिनांक 17 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1154)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "गुरुश्री सौभाग्य रमणिक धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट", पता-श्री धर्मदास कृष्ण स्मृति जैन भवन, 37, साऊथ राजमोहल्ला, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री राजेन्द्र जैन, पिता श्री माणकलाल जैन, निवासी-8, शर्मा एनक्लेव, इन्दौर अन्य-4 के द्वारा "गुरुश्री सौभाग्य रमणिक धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट" कार्यालय पता-श्री धर्मदास कृष्ण स्मृति जैन भवन, 37, साऊथ राजमोहल्ला, इन्दौर, (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभावक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	:	"गुरुश्री सौभाग्य रमणिक धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट"
2. पता	:	कार्यालय पता-श्री धर्मदास कृष्ण स्मृति जैन भवन, 37, साऊथ राजमोहल्ला, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
3. अचल संपत्ति	:	निरंक
4. चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र) है। जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।

आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(1155)

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिए]

रा. प्र. 04/बी-113(4)/2016-17.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1962, नियम-5(1) के अंतर्गत]

चूँकि आवेदक बटुक भैरों बजनामठ मंदिर ट्रस्ट, जबलपुर द्वारा तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभावक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

"अनुसूची"

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : बटुक भैरों बजनामठ मंदिर ट्रस्ट, जबलपुर.
2. चल/स्थावर सम्पत्ति : ग्राम पुरवा ख. न. 407/1 का अंश रकवा 0.400 हेक्टे. (1 एकड़ का क्षेत्र)

3. अचल सम्पत्ति : 1,00,000,00 (एक करोड़) स्थावर सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, शासकीय कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर (भवन एवं भूमि).
4. न्यास की आय का स्रोत : 1. दान-दाताओं से प्राप्त आय
2. मोटर/साइकिल स्टैण्ड से प्राप्त आय
3. किसी भी संस्था से प्राप्त धन
4. मंदिर में सम्पन्न होने वाले कार्यक्रम से प्राप्त आय
5. आम जन से प्राप्त होने वाली राशि
6. मंदिर पर व्यवसायिक क्षेत्र होने पर अर्जित होने वाली आय

अरविंद सिंह,
पंजीयक.

(1156)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विराट ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल	1082/27-01-2010	444/31-04-2016
2.	इंडियन क्रेडिट साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल	1134/24-12-2014	445/31-04-2016
3.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., लालपुर	1146/09-04-2015	446/31-04-2016
4.	माँ कंकाली महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., शहडोल	02/20-03-2014	447/31-04-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

रंजना किशन,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1143-A)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., अमझोर	969/28-06-1999	1096/31-12-2016
2.	बंदना महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मोहनी	985/24-12-1999	1097/31-12-2016

1	2	3	4
3.	राधेकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुदरी	1144/28-02-2015	1098/31-12-2016
4.	स्वाती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., गिरुईबडी	1103/.....	1095/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

मधुकर पेटकर,

उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(1143-B)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 03 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., चंदेला	771/30-03-1984	1107/31-12-2016
2.	जलक्षेत्र मत्स्यउद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुर	817/24-04-2000	1108/31-12-2016
3.	आदर्श कल्था उद्योग सहकारी समिति मर्या., ब्यौहारी	635/17-06-1990	1109/31-12-2016
4.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., अमलाई	341/30-03-1967	1113/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

डी. आर. सिंह,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1163)

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, खरगोन

दिनांक 03 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./423.-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 69, दिनांक 01 फरवरी, 1962 है को कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इंदौर संभाग के आदेश क्रमांक/साख/2016/322, दिनांक 01 मार्च, 2016

के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होंगे के दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 03 फरवरी, 2017 मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन की मुद्रा से जारी की गई।

भुवान सिंह अलावा,
परिसमापक.

(1161)

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सह. साख संस्था मर्यादित, खरगोन

खरगोन, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सह. साख संस्था मर्यादित, खरगोन को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरित अधिकारी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सह. साख संस्था मर्यादित, खरगोन.	862/09-09-1992	1623/18-11-2016

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के सम्बंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्हीं भी व्यक्तियों, संस्था सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से सम्बंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर सम्बंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें। अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस संस्था की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सूचना आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

दिलीप सिंह कोसरा,
परिसमापक एवं अंकेक्षक अधिकारी.

(1162)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 27 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/340.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/456, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्र. 2224, दिनांक 05 अप्रैल, 2013) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन

प्रस्तुत किया गया है, जिससे संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है। अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है। परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, श्रीमती मीना डावर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए संस्था वालिमकी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्र. 2224, दिनांक 05 अप्रैल, 2013), जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

मीना डावर,
उप-पंजीयक.

(1151)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 15 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/696.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/644, धार, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजूर, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 497, दिनांक 07 जून, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजूर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1158)

धार, दिनांक 15 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/697.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/366, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा माँ नर्मदा सामुहिक उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., जाटपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 06 जून, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत माँ नर्मदा सामुहिक उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., जाटपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1158-A)

धार, दिनांक 15 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/698.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1557, धार, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगढ़, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1090, दिनांक 06 अक्टूबर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगढ़, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1158-B)

धार, दिनांक 15 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/699.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/21, धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के द्वारा मनकामनेश्वर महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1232, दिनांक 03 नवम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मनकामनेश्वर महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1158-C)

अम्बरीष वैद्य,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 20 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/828.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दावरअली, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 475, दिनांक 13 मार्च, 2003 के परिसमापक श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशांसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./704, दिनांक 10 मार्च, 2016 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने के साथ-साथ प्रस्तुत कार्य योजना अनुसार कार्य प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था के पुनः परिसमापन की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. श्रीमती मीरा शर्मा | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती भगवती परिहार | उपाध्यक्ष |

3. श्रीमती अंगूरी जाटव	सदस्य
4. श्रीमती रती आदिवासी	सदस्य
5. श्रीमती राजाबेटी	सदस्य
6. श्री चमन सिंह उप-अंके.	सदस्य

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(1157)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की अनुसूचित जाति मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, माधोनगर, पंजीयन क्रमांक 284, दिनांक 23 अगस्त, 1984 को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1735, दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1159)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की माधव महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दिनारा, पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 05 मार्च, 2002 को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1736, दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1159-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की महादेव अनुसूचित जाति पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, करैरा, पंजीयन क्रमांक 407, दिनांक 04 फरवरी, 1998 को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1734, दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1159-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की रामसती मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आर्डर, पंजीयन क्रमांक 441, दिनांक 16 मार्च, 1999 को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 705, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1159-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, सलैया डामरौन, पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 एवं पंजीयन क्रमांक 1111, दिनांक 02 जुलाई, 2007 को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1750, दिनांक 17 जुलाई, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1159-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, सिलारपुर, पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 28 फरवरी, 2004 एवं पंजीयन क्रमांक 1110, दिनांक 02 जुलाई, 2007 को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1751, दिनांक 17 जुलाई, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1159-I)

चमन सिंह,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/763.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपज/परि./1770, दिनांक 25 जुलाई, 2016 के द्वारा जनहित प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1430 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1430 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपजं/परि./2017/764.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपजं/परि./1661, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा माढ़ोताल प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1273 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये माढ़ोताल प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1273 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-A)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपजं/परि./2017/765.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपजं/परि./1662, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा माँ खेरमाई प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1411, है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ खेरमाई प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1411 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-B)

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपजं/परि./2017/766.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपजं/परि./1936, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के द्वारा महिला उत्थान प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1244 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69

के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक सुश्री गीतांजली सेन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला उत्थान प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1244 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-C)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपजं/परि./2017/767.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपजं/परि./1769, दिनांक 25 जुलाई, 2016 के द्वारा माँ शक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1329 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ शक्ति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1329 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-D)

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपजं/परि./2017/768.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपजं/परि./1768, दिनांक 25 जुलाई, 2016 के द्वारा अरिहन्त प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1306 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अरिहन्त प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1306 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-E)

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/769.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1935, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के द्वारा न्यू हिना प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1321 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये न्यू हिना प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1321 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-F)

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/770.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1372, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकला, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 893 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकला, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 893 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-G)

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/771.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1377, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नटवारा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 874 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नटवारा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 874 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-H)

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/772.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1375, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भीटा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 895 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भीटा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 895 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-I)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2031

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/773.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1373, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरिया, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 881 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरिया, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 881 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-J)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2031/796.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./455, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकेड़ी वि. खण्ड शहपुरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 883 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री विवेक जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकेड़ी वि. खण्ड शहपुरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 883 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-L)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/797—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./456, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रौसरा वि. खण्ड पाटन, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 886 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रौसरा वि. खण्ड पाटन, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 886 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-M)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/798.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./454, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलखेड़ा, वि. खण्ड शहपुरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 891 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनीलाल गौड़, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलखेड़ा, वि. खण्ड शहपुरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 891 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1160-N)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपज/परि./2017/799.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपज/परि./453, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुनवारा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 894 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश मेहता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुनवारा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 894 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(1160-O)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/513.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुलाबरी, तहसील ग्यारसपुर के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 29 मार्च, 2014 से आज तक संस्था अकार्यशील है एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारी द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुलाबरी, तहसील ग्यारसपुर को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/72, विदिशा, दिनांक 13 जनवरी, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुलाबरी, तहसील ग्यारसपुर को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुलाबरी, तहसील ग्यारसपुर, पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./916, दिनांक 29 मार्च, 2014 को परिसमापन में प्रस्तुत किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एम. के. जैन, प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1164)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/538.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा अकार्यशील

है एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/17, विदिशा, दिनांक 03 जनवरी, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./233, दिनांक 12 फरवरी, 1980 को परिसमापन में प्रस्तुत किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1164-C)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/539.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महाविद्यालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये महाविद्यालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/15, विदिशा, दिनांक 03 जनवरी, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से महाविद्यालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महाविद्यालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./221, दिनांक 30 मार्च, 1974 को परिसमापन में प्रस्तुत किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1164-D)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/540.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माँ शारदा अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 23-12-2010 से आज तक संस्था अकार्यशील है एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था

पदाधिकारियों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये माँ शारदा अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/367, विदिशा, दिनांक 27 फरवरी, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से शारदा अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, शारदा अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./771, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में प्रस्तुत किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1164-E)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/541.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, विदिशा के द्वारा विगत कई वर्षों से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, न ही संस्था द्वारा निर्वाचन कराया गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/16, विदिशा, दिनांक 03 जनवरी, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से श्रीराम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्रीराम श्री प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./770, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में प्रस्तुत किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1164-F)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/542.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सर्वहारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुगलसराय, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारी द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध

उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये सर्वहारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुगलसराय, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/977, विदिशा, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से सर्वहारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुगलसराय, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सर्वहारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुगलसराय, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर/व्ही.डी.एस./720, दिनांक 31 अगस्त, 2006 को परिसमापन में प्रस्तुत किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सैना, उप-अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1164-G)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/543.-कार्यालयीन अधिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैरागढ़, तहसील लटेरी, जिला विदिशा अकार्यशील है एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48-2 के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैरागढ़, तहसील लटेरी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/71, विदिशा, दिनांक 13 जनवरी, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैरागढ़, तहसील लटेरी, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैरागढ़, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./744, दिनांक 25 जुलाई, 2009 को परिसमापन में प्रस्तुत किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री टी. एन. पाण्डेय, प्रभारी दुग्ध शीत केन्द्र, मूडरा सागर (लटेरी) को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1164-H)

विदिशा, दिनांक 28 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./पंजी/2017/526.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/729, दिनांक 08 जून, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवखजूरी, तहसील व जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था।

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सहकारी अधिनियम की धारा-69 (4) तथा मध्यप्रदेश शासन,

सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह/1/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मयादित, देवखजूरी, तहसील व जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस/578, दिनांक 07 दिसम्बर, 1998 को पुनर्जीवित करता हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है.

1. श्री राम गोपाल शर्मा	अध्यक्ष
2. श्री महेश सिंह दांगी	उपाध्यक्ष
3. श्री रामबाबू	संचालक
4. श्री राजेश शर्मा	संचालक
5. श्री राजकुमार शर्मा	संचालक
6. श्रीमती लक्ष्मी दुबे	संचालक
7. श्रीमती प्रभा बाई	संचालक
8. श्री टीकाराम	संचालक

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अंदर निर्वाचन सम्पन्न करायें. यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1164-A)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/537.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/731, विदिशा, दिनांक 08 जून, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मयादित, पालकी, तहसील व जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था के सदस्यों के हित में है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह/1/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) की शक्ति का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मयादित, पालकी, तहसील व जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस/244, दिनांक 04 नवम्बर, 1982 को पुनर्जीवित करता हूँ.

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है.

1. श्री गोपाल सिंह	अध्यक्ष
2. श्री करन सिंह	उपाध्यक्ष
3. श्री महेश	संचालक
4. श्री अजयसिंह	संचालक
5. श्री राजकुमार	संचालक
6. श्री हरी	संचालक
7. श्री ज्ञानसिंह	संचालक
8. श्रीमती उमेदीबाई	संचालक
9. श्रीमती कोमल बाई	संचालक

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह तीन माह के अंदर निर्वाचन सम्पन्न करायें.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1164-B)

ए. के. सिंह,
उप पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल, 2017-वैशाख 1, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सिवनी जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील सिवनी, बरघाट, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील लखनादौन (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील निरंक.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.-तहसील कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल अनूपपुर, उमरिया, सीधी, झाबुआ, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला व डिण्डौरी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- फसल होशंगाबाद में फसल गेहूँ, चना, डिण्डौरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर, बैतूल में गेहूँ चना, मसूर, मटर, राई-सरसों व ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, झाबुआ, इन्दौर, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, जबलपुर, कटनी व नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी एवं रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला अनूपपुर, सीहोर, होशंगाबाद, डिण्डौरी, बालाघाट में फसल धान व दमोह, सीधी, खरगौन, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगाढ़ .. 6. कैलारस
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, मूँग, मक्का, सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गोहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ज्वार, अरहर, चना, राई-सरसों मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिवड़ा, जौ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा .. 2. बटियागढ़ .. 3. दमोह .. 4. पथरिया .. 5. जवेरा .. 6. तेन्दूखेड़ा .. 7. पटेरा				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4.(1) अरहर, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर .. 2. मझगवां .. 3. रामपुर-बघेलान .. 4. नागौद .. 5. उचेहरा .. 6. अमरपाटन .. 7. रामनगर .. 8. मैहर .. 9. बिरसिंहपुर				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौथर .. 2. सिरमौर .. 3. मऊगंज .. 4. हनुमना .. 5. हजूर .. 6. गुढ़ .. 7. रायपुरकचुलियान				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, उड़द अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर .. 2. ब्यौहारी .. 3. जैसिंहनगर .. 4. गोहपारू .. 5. जैतपुर .. 6. बुढार				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी .. 2. अनूपपुर .. 3. कोतमा .. 4. पुष्पराजगढ़				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ .. 2. पाली .. 3. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ कम. अलसी समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास .. 2. सिंहावल .. 3. मझौली .. 4. कुसमी .. 5. चुरहट .. 6. रामपुरनैकिन				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी की फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, लहसन प्याज समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ज्वार, तुअर, उड़द अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) कपास, तुअर, धान अधिक. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. भामरा	..				
6. च. शेखर आ. नगर	..				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु (डॉ. अम्बेडकर नगर)	..				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का अधिक ज्वार, धान बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. वरला	..				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास अधिक सोयाबीन कम (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. जावरा	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. रेहटी	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, गन्ना अधिक. मूँग, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोडाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों-कुटकी अधिक. उड़द कम.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, ज्वार. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों- कुटकी, तुअर, उड़द, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गोहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. तामिया	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. चाँद	..				
10. बिछुआ	..				
11. हरई	..				
12. मोहखेड़ा	..				
13. उमरेठ	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	12.20				
2. केवलारी	..				
3. लखनादोन	21.20				
4. बरघाट	3.0				
5. कुरई	60.0				
6. घंसोर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	2.60				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				
7. खैरलाँजी	..				
8. लालबर्वा	..				
9. बिरसा	..				
10. परसवाड़ा	..				

टीप.-*जिला गुना, सिंगरौली, नीमच, रतलाम, आगर, धार, खंडवा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1152)